पत्र सूचना शाखा

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

<u>राज्यपाल के कार्यक्रम आचार संहिता से आच्छादित नहीं - राज्य निर्वाचन आयोग</u>

लखनऊः 28 अक्टूबर, 2017

राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि प्रदेश के निकाय चुनाव के मद्देनजर राज्यपाल विश्वविद्यालय या संस्थान के दीक्षान्त समारोह में सहभागिकता कर सकते हैं और उसे सम्बोधित कर सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने राजभवन को भेजे गए अपने पत्र में कहा है कि समृद्ध सांस्कृतिक विरासत तथा साहित्यिक गतिविधियों के उन्नयन संबंधी कार्यक्रम यदि किसी राजनैतिक दल द्वारा आयोजित नहीं कराया जा रहा है तो वह आदर्श आचार संहित से आच्छादित नहीं होगा।

राजभवन द्वारा राज्यपाल श्री राम नाईक के आगामी माह के प्रस्तावित कार्यक्रम, जिसमें विश्वविद्यालयों के पूर्व निर्धारित दीक्षान्त समारोह एवं प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियों के उन्नयन से संबंधित कार्यक्रम है, की सूची 25 अक्टूबर, 2017 को राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के संज्ञानार्थ भेजी गई थी। ज्ञातव्य है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में नगरीय चुनाव के लिए 27 अक्टूबर, 2017 को अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के जारी होने के साथ ही आचार संहिता प्रभावी हो जाती है।

अंजुम/ललित/राजभवन (410/30)